



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06032026-270717
CG-MH-E-06032026-270717

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1119]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 6, 2026/फाल्गुन 15, 1947

No. 1119]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 2026/PHALGUNA 15, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेल्वे)

अधिसूचना

मुंबई, 2 मार्च, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20E के तहत

का.आ. 1171(अ).— केंद्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एंव रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) कि धारा 20 'क' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (II) तारीख 26 दिसंबर, 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 5817 (अ) तारीख 23 दिसंबर, 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के **आहिल्यानगर** जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, **"दौंड - मनमाड दुहेरी रेलवे मार्ग प्रकल्प"** के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिये अपेक्षित है, ऐसी भूमिका का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम कि धारा 20 क की उपधारा (4) के अधिन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् "नवा मराठा" तथा "लोकसत्ता" में तारीख 12 जनवरी 2026 को प्रकाशित किया गया था।

और, तांदुळवाडी गांव में कोई आक्षेप प्राप्त नाही हुआ तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गये है।

और, उक्त अधिनियम कि धारा 20 ड कि उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दि है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रीपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये अर्जित की जायेगी।

और, यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में अत्यांकित रूप से निहित हो जायेगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के आहिल्यानगर जिले में तालुका राहुरी के अंतर्गत तांदुलवाडी गांवों का सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय, श्रीरामपूर के अधीन विशेष रेल परियोजना "दौंड - मनमाड दुहेरी रेलवे मार्ग प्रकल्प" के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

अ. क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	उप विभाग	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमिधारणा प्रणाली	7/12 के अनुसार कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)	मालमत्ता		
									बोझर/कुंआ	बांधकाम	पेड़
1	01/2023	तांदुलवाडी	श्रीरामपूर	लक्ष्मण रेवजी वर्णे	133	1	1.64	0.33	कुंआ 1	-	सहजन-1, अमरूद-3, करी पत्ते-2
2				आबाजी रेवजी वर्णे	133	1		0.25	-	-	-
3				आबाजी रेवजी वर्णे	133	1		0.15	-	-	-
4				अशोक देवराम भालेराव, जनाबाई अशोक भालेराव	134	1	0.92	0.53	-	-	-
5				रंभाबाई केरू तरडे, जानदेव केरू तरडे, चांगदेव केरू तरडे, नामदेव केरू तरडे, कमल प्रभाकर पोटे	135	1	0.05	0.05	-	-	-
कुल							2.61 (हे.आर.)	1.31 (हे.आर.)			

[फा. सं. G197/DD-MMR/Tandulwadi Vlg/Rahuri Tq/20E]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
(Central Railway)
NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd March, 2026

Under clause 20E of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 1171(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S. O. 5817 (E) dated the 23rd December, 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii), dated the 26th December, 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20 A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **“Daund - Manmad Doubling Project (247.50 Km)”** in the district of **Ahilyanagar** in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “Nava Maratha” and “Loksatta” Dated 12.01.2026 under sub section (4) of section 20 A of the said Act;

And whereas, in Tandulwadi village no objections were received and the same have been considered by the competent Authority accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section 20 E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project **“Daund - Manmad Doubling Project (247.50 Km)”** in Tandulwadi village in Rahuri Taluka under Competent Authority for Land Acquisition and Sub Divisional Officer’s Office, Shrirampur Division District Ahilyanagar in the State of Maharashtra.

S. N.	LAQ Case No.	Village Name	Sub division	Name of Land Holder(s) as per 7/12	Survey/ Gat No.	Land Tenure System	Total area as per 7/12 (Ha.)	Land to be Acquired (Ha.)	Assets		
									Bore / well	Constructions	Trees
1	01/2023	Tandulwadi	Shrirampur	Laxman Revji Varpe	133	1	1.64	0.33	well-1	-	Drumstick-1, Guava-3, Curry leaves-2
2				Aabaji Revji Varpe	133	1		0.25	-	-	-
3				Aabaji Revji Varpe	133	1	0.92	0.15	-	-	-
4				Ashok Devram Bhalerao, Janabai Ashok Bhalerao	134	1		0.53	-	-	-
5				Rambhabai Keru Tarde, Dnyandeo Keru Tarde, Changdeo Keru Tarde, Kamal Prabhakar Pote	135	1	0.05	0.05	-	-	-
Total							2.61 (Ha.)	1.31 (Ha.)			

[F. No. G197/DD-MMR/Tandulwadi Vlg/Rahuri Tq/20E]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)